न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क्र0 811–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 18–12–12 पारित आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 105/2011–12 अपील.

1– रामचरण पिता स्व. तुलसीदास लोधी
2– रामसेवक पिता स्व. तुलसीदास लोधी
3– राजेश पिता स्व. तुलसीदास लोधी
4– राम सोहावन पिता स्व. तुलसीदास लोधी
5– रामरतन पिता स्व. तुलसीदास लोधी
सभी निवासी ग्राम मौहरिया लालन, तह0 अमरपाटन,
जिला सतना, म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूध्द

दुर्घटिया लोधी पुत्री रामप्रसाद लोधी पत्नी रामलखन लोधी
निवासी ग्राम मौहरिया लालन, तह0 अमरपाटन,
जिला सतना हाल मुकाम अकहा, तह0 उंचेहरा,
जिला सतना, म0प्र0

---- अनावेदक

श्री के0पी0 अग्निहोत्री, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री अशोक मिश्रा, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक २। अगस्त ,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अपील प्रकरण कमांक 105/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 18–12–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति, ग्राम पंचायत मौहरिया लालन, विकास खण्ड अमरपाटन की नामान्तरण पंजी कमांक 4 वर्ष 1998–99

उनका यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक व्दारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त ने राजीनामें के संबंध में अनावेदक दुर्घटिया के बयान लिपिबध्द किये जिसमें भी अनावेदक दुर्घटिया व्दारा निशानी अंगूठा लगाया गया है। उनका तर्क है कि नामान्तरण पंजी में बटवारा नामान्तरण आपसी सहमति से पारित किया गया जिस पर अनावेदक दुर्घटिया के हस्ताक्षर के रूप में निशानी अंगूठा लगा है जिससे स्पष्ट है कि उसे नामान्तरण आदेश की जानकारी तत्समय से थी। अनावेदक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 10 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी और विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि अनावेदक दुर्घटिया कभी निशानी अंगूठा नही लगाती है। उसके नाम से फर्जी अंगूठा लगाकर चोरी–छिपे अनावेदक को सूचना दिये बगैर बिना सहमति के बटवारा नामान्तरण कराया गया है। नामान्तरण की जानकारी दिनांक 22–05–09 को होने पर अनावेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसे जानकारी के दिनांक से समयावधि में मानकर विलम्ब माफ करने में अपीलीय न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है। उनका तर्क है कि आवेदकगण व्दारा आयुक्त न्यायालय में अंगूठा लगाकर फर्जी राजीनामा प्रपत्र तैयार कर पेश किया है। अनावेदक ने दिनांक 13–7–11 को इस आशय का शपथपत्र पेश किया है कि वह हस्ताक्षर करती है, अंगूठा नहीं लगाती। फर्जी एवं कूटरचित राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अन्त में उनका तर्क है कि पंजीयत विक्रयपत्र के हस्ताक्षर से मिलान किये जाने संबंधी आपत्ति उठायी है। निचले न्यायालय में ऐसी साक्ष्य पेश करने की चेष्टा नहीं की हो तो उसे पुनरीक्षण में नहीं उठाया जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

5/ आयुक्त के समक्ष आवेदकगण व्दारा लिस्ट कागजात प्रस्तुत किये गये हैं। इनके अवलोकन से विदित होता है कि पंचायत के आदेश दिनांक 26–8–99 पर अनावेदक दुर्घटिया का निशानी अगूंठा लगा है। बटवारा सूचना की पुष्ट पर अनावेदक दुर्घटिया

लगाया जाता है। दुर्घटिया के बटवारा पुल्ली, सहमति जबावदावा एवं नामान्तरण पंजी में निशानी अगूंठा होने से नामान्तरण पंजी में पारित आदेश की जानकारी अनावेदक को तत्समय से थी, किन्तु उसके व्दारा निर्धारित समयावधि में सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की। अनावेदक व्दारा लगभग 10 वर्ष बाद अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण अपील समयावधि में मान्य करने में त्रुटि की गयी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। आयुक्त, रीवा संभाग का आदेश दिनांक 18–12–12 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29–12–09 निरस्त किये जाते हैं। ग्राम मौहरियालालन की पंजी क0 4 में प्रमाणित नामान्तरण दिनांक 26–8–09 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,